पंचदश बिहार विधान सभा

अष्टम् सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनायें बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-18.03.2013 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री संजय सिंह (टाइगर), स०वि०स० श्री वीरेन्द्र सिंह, स०वि०स० श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा, स०वि०स० श्री प्रेम रंजन पटेल, स०वि०स० श्री रामायण मांझी, स०वि०स० श्री रण विजय कुमार, स०वि०स० श्री अरूण शंकर प्रसाद, स०वि०स० श्री रामदेव महतो, स०वि०स० श्री जनक सिंह, स०वि०स० श्री कुमार शैलेन्द्र, स०वि०स० श्री अरूण कुमार सिन्हा, स०वि०स० श्री ज्ञानचन्द मांझी, स०वि०स० श्री विनय कुमार सिंह, स०वि०स०	"भोजपुर जिलान्तर्गत कोईलवर प्रखंड के किसान वर्ष 2009 में सूखाग्रस्त जिला घोषित होने के बावजूद अधिकारियों के कारण फसल बीमा योजना के लाभ से वंचित हो गए । दो-दो बार जांच हुई तथा चौंकाने वाले तथ्य सामने आए कि भ्रष्ट अधिकारियों ने क्राप कटिंग रिपोर्ट सही स्थानों पर गये बिना ही समर्पित कर दिया । जांच रिपोर्ट में यह पाया गया कि खेसरा नम्बर-599 में 8.50 कि०ग्राम प्रति 50 वर्ग मीटर क्राप कटिंग प्रतिवेदित है । जबकि उक्त जमीन में अफीम की खेती की गयी थी, जिसमें केस भी दर्ज है । ज्ञानपुर का खेसरा नं०-655 में 10.2 कि०ग्राम प्रति 50 वर्ग मीटर में उपज दर्शायी गयी है, जिसपर ईंट सोलिंग है तथा नक्शे में आम रास्ता दर्शाया गया है । जिला कृषि पदाधिकारी एवं जिला अपर समाहर्त्ता की अध्यक्षता में जांचोपरान्त उनके प्रतिवेदन में जिले में भयंकर सूखे से प्रभावित किसानों को फसल बीमा लाभ देने को कहा गया है परन्तु बीमा कम्पनी को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से अधिकारियों ने घोटाला किया फलस्वरूप किसान फसल बीमा लाभ लेने से वंचित रह गए । अत: कोईलवर प्रखंड के किसानों को फसल बीमा लाभ दिलाने एवं भ्रष्ट अधिकारियों के विरूद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई हेतु हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	कृषि

1	2	3	4
2.	श्री अमरनाथ गामी, स०वि०स० श्री संजय सरावगी, स०वि०स० श्री गोपाल जी ठाकुर, स०वि०स० श्री विजय कुमार मिश्र, स०वि०स० श्री विभाष चन्द्र चौधरी, स०वि०स०	"दरभंगा जिलान्तर्गत अशोक पेपर मिल को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित स्कीम के तहत एन.सी.एफ.एल. को दिया गया । एन.सी.एफ.एल. आज तक मिल को चालू नहीं करवा सका है, सुप्रीम कोर्ट से किये गये शर्तों को भी पूरा नहीं किया है । मिल प्रबन्धक द्वारा आये दिन मिल का बहुमूल्य संपत्ति ट्रक से लोड कर बेचने का कार्य किया जा रहा है । उक्त चोरी से बेचे जा रहे सामानों को रोकने के क्रम में एक मजदूर सुशील कुमार साह, ग्राम बलहा निवासी की मृत्यु गोली लगने से हो गयी । उक्त मजदूर का परिवार भुखमरी के कगार पर है । अत: मृतक मजदूर के परिवार को दस लाख रूपया मुआवजा तथा आश्रित को सरकारी नौकरी देने के साथ शीघ्र मिल को चालू करवाने की ओर हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	उद्योग

फूल झा
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-20/13- 288 / वि०स०, पटना, दिनांक- 16 मार्च, 2013 ई० ।

प्रति :- बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / कृषि विभाग तथा उद्योग विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

16/3/13
(राजकुमार रजक)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-20/13- 288 / वि०स०, पटना, दिनांक- 16 मार्च, 2013 ई० ।

प्रति :- अवर सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / अपर आप्त सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय / अवर सचिव, सचिवीय कार्यालय / निजी सहायक, संयुक्त सचिवीय कार्यालय को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रभारी सचिव एवं प्रभारी संयुक्त सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

16/3/13
(राजकुमार रजक)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।
16/3/13